

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)

//आदेश//

क्रमांक 258 /दो-22-1/88

सीधी, दिनांक 10 /4/2024

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-03/2019/1/4 दिनांक 26 मार्च, 2024 के द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लोकसभा आम चुनाव के सिलसिले में प्रथम चरण में मध्यप्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी, दिनांक 19 अप्रैल 2024, (दिन शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक/ सामान्य अवकाश का दिन घोषित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक डी/488 जबलपुर दिनांक 22.1.2015 के आलोक में लोकसभा आम चुनाव 2024 के सिलसिले में प्रथम चरण में मध्यप्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी, दिनांक 19 अप्रैल 2024, (दिन शुक्रवार) को मतदान के लिए न्यायिक जिला मुख्यालय सीधी एवं तहसील रामपुर नैकिन, मझौली एवं चुरहट में कार्यरत समस्त न्यायालयों एवं अनुभागों के लिए सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश का दिन घोषित किया जाता है।

सही/-

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)**

सीधी, दिनांक 10/4/2024

पृष्ठांकन क्रमांक 363/दो-22-1/88

प्रतिलिपि-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायाधीशगण सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन।
3. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, सीधी /चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन की ओर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर, सीधी।
5. पुलिस अधीक्षक सीधी।
6. जेल अधीक्षक सीधी।
7. केन्द्रीय जेल, रीवा।
8. अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन।
9. शासकीय अधिवक्ता/ अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन।
10. लोक अभियोजन अधिकारी सीधी।
11. निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**कृते/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)**